उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– /VIII-1/21–03(श्रम)/2021

देहरादून, दिनांकः मार्च, 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 की उपधारा (1) में राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव अब राज्यपाल बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड के बालक एवं कुमार श्रमिकों के चिन्हीकरण एवं उनके पुनर्वास से संबंधित सभी आनुषांगिक मामलों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उत्तराखण्ड बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 2022 का प्रस्ताव करते हैं;

राज्यपाल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना से संबंधित हितधारी एवं जनसामान्य द्वारा इस अधिसूचना से संबंधित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियमावली–प्रारूप

उत्तराखण्ड बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 2022

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 2022 है;

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी;

परिभाषायें

2. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न

हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;

(ख) "निधि" से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित " बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि' अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द और पद, जो इसमें परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है;

निधि का स्रोत

3. निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा–

(क) अधिनियम की धारा 14ख की उप धारा (1) के अधीन बालक और कुमार श्रमिक के नियोजक से वसूला गया अर्थदण्ड;

(ख) अधिनियम की धारा 14ख की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा की गयी धनराशि;

(ग) अधिनियम की धारा 14घ की उपधारा (1) के अधीन जिलाधिकारी द्वारा आरोपित, नियोजक/माता–पिता/अभिभावक के द्वारा जमा की गयी उपशमन संबंधी धनराशि;

(घ) गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन या किसी निकाय से अनुदान या दान के रूप में बालक/कुमार श्रमिकों के कल्याण हेतु प्राप्त धनराशि;

(ड) किसी वित्तीय वर्ष में निधि से अर्जित आय की धनराशि;

निधि का उद्देश्य

4. निधि का उद्देश्य बालक और कुमार श्रम के उन्मूलन, पुनर्वास और कल्याण के लिए बालक और कुमार

श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

निधि का निवेश

5. निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किया जाएगा। निधि के निवेश के लिए जिलाधिकारी एवं संबन्धित जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

निधि की संक्रिया

6. निधि जिलाधिकारी के निर्वतन पर रहेगी।

निधि का उपयोग

7. (क) जिले के श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बालक/कुमार श्रमिक का खाता जिले में स्थित किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खुलवाया जाएगा।

(ख) चिन्हित बालक/कुमार श्रमिक के सापेक्ष खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज प्रत्येक छः माह में निधि से स्थानान्तरित किया जायेगा। यह कार्यवाही श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अनुश्रवण में की जायेगी।

(ग) संबंधित बालक/कुमार की आयु अठारह वर्ष पूर्ण होने पर अधिकतम तीन माह की अवधि में संबंधित बालक/कुमार के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि मय ब्याज, जो कि अधिनियम की धारा 14ख की उप धारा 1 तथा 2 के अन्तर्गत संबंधित बालक/कुमार के सापेक्ष निधि में जमा है को संबंधित बालक/कुमार के खाते में जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अनुश्रवण में हस्तांतरित किया जाएगा।

(घ) सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा नियम 7 (ख) तथा (ग) के अधीन हस्तांतरित धनराशि के संबंध में बालक/कुमार के पूर्व विवरण के साथ रिपोर्ट श्रमायुक्त एवं राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण के अधिकतम दो सप्ताह में प्रेषित की जाएगी।

आयु का प्रमाण पत्र

8. (1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी बालक/कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों या स्थल में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3 (1) एवं धारा 3क के अधीन

नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है तथा जहां संबंधित बालक/कुमार श्रमिक की आयु के संबंध में विवाद है, वहां वह ऐसे बालक/कुमार के नियोजक को निर्देशित कर सकेगा कि वह समुचित जिला चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(2) समुचित जिला चिकित्सा प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन आयु का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बालक /कुमार की परीक्षा करते समयः–

(i) बालक/कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र या, कुमार के संबंद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

(iii) निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार का जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करेगा;

परन्तु, यह कि खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी;

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण श्रम आयुक्त/अपर श्रम आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त अथवा अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण पत्र प्रारूप 'क'

में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जो, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस बालक/कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जानी है।

स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रायोजन के लिए,–

(i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;

(ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (i) में यथा परिभाषित बालक अभिप्रेत है।

(iii) "बालक" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ii) में यथा परिभाषित किशोर अभिप्रेत है।

अपराधों का शमन करने की रीति

9. (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,–

(i) जो धारा 14 की उप–धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या

(ii) जो माता–पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है, धारा 14घ की उप–धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात्, आवेदन का निपटान करेगा और

यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा–

(i) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या

(ii) खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खण्ड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है और ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(iii) आरोपित द्वारा राज्य सरकार को शमन धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(iv) यदि आरोपित द्वारा शमन धनराशि का भुगतान निर्दिष्ट समय पर एवं उपनियम (2) के अन्तर्गत नहीं किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध धारा 14घ की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही गतिमान रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य एवं अधिकार

10. (1) जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 17क के अधीन जिले में बालक/कुमार श्रम के उन्मूलन हेतु समय –समय पर अथवा शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों में उल्लिखित जिला टास्क फोर्स (DTF) अथवा अन्य अधिकृत निरीक्षण टीम के माध्यम से बालक/कुमार श्रम नियोजित करने वाले स्थलों/प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करा सकेंगे।

(2) जिले में बालक/कुमार श्रम के प्रकरणों के अनुश्रवण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोडल अधिकारी नामित

किया जाएगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।

(4) उप–धारा (1), (2) एवं (3) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों एवं जिला टास्क फोर्स (DTF) के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लघंन करके नियोजित किए जाते है, को ऐसे नियोजनों से पृथक किया जाये तथा उन्हें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार पुनर्वासित किया जाएगाः–

(i) किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्विन बनाए गए नियम।

(ii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);

(iii) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;

(iv) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना;

(v) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालक या कुमारों को पुनर्वासित किया जा सके, और निम्नलिखित के अध्यधीन–

(क) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निदेश, यदि कोई हो;

(ख) इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रवर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत;

निरीक्षकों के कर्तव्य

11. अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए,

(i) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों का अनुपालन करेगा;

(ii) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा तथा बालक/कुमार श्रम के प्रकरणों में निरीक्षण करेगा;

(iii) क्षेत्र के उप श्रमायुक्त, श्रम आयुक्त एवं राज्य सरकार को बालक/कुमार श्रम उन्मूलन के संबंध में किए गए निरीक्षणों की प्रत्येक माह रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

निरीक्षण एवं अनुश्रवण तंत्र

12. श्रमायुक्त द्वारा बालक/कुमार श्रम के संबंध में मामलों में निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु एक निरीक्षण प्रक्रिया बनाई जाएगी जो कि राज्य सरकार के अनुमोदन, उपरान्त प्रवृत होगी। इस हेतुः–

(क) जिले में तैनात सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारियों तथा ऐसे अन्य अधिकारी जो उचित समझे गये हो, हेतु, प्रत्येक माह बालक/कुमार श्रम नियोजित करने वाले सम्भावित स्थलों के निरीक्षण हेतु लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा।

(ख) किए गए निरीक्षणों के संबंध में अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही संबंधी अभिलेखों का रख रखाव digital अथवा अन्य माध्यम से किये जाने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। उक्त अभिलेखों में चिन्हीकरण कार्यवाही संबंधी विवरण बालक/कुमार श्रमिकों के पुनर्वास विवरण उपरान्त कार्यवाही का विवरण यथा बालक/कुमार श्रमिकों के आम कार्यस्थल का पता, नियोजक का नाम तथा पता का नियोजकों के विरूद्ध दायर F.I.R. एवं वाद संबंधी विवरण का उल्लेख अन्य प्रासंगिक विवरणों सहित किया जाएगा।

आज्ञा से,

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the **Constitution of India,** the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no /VIII-1/22-03(Labour)/2021, dated for general information.

Government of Uttarakhand
Labour Section
No.- /VIII-1/22-03(Labour)/2021
Dehradun, Date: March, 2022

Notification

Whereas the State Government is satisfied that it is necessary and expedient so to do;

And whereas in sub-section (1) of section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) the power to make rule to implement the provisions of the said Act by notification on the official Gazette and under the condition of previous publication is vested in the State Government;

Now, therefore in exercise of the power conferred by section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) the Governor proposes the following Uttarakhand Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2022 to regulate all ancillary matters related to the identification and rehabilitation of the child and adolescent labours of Uttarakhand;

The Governor under sub-section (1) of section 18 of the Act also directs that any representation and objections related to this notification by the beneficiary and the general public related to the said notification may be sent within the period of 30 days from the date of publication of this notification in the newspaper to the Office of Labour Commissioner, Uttarakhand, Haldwani, District Nainital;

The Governor also directs that no representations and objections shall not be accepted after the said time period.

Rules-Draft

Uttarakhand Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2022

PART I – GENERAL

Short Title and Commencement

1. **(1)** These rules maybe called the Uttarakhand Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2022.

(2) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

Definitions

2. **(1)** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986;

(b) "Fund" means the "Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund" established under sub-section (1) of section 14B of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

(c) "State Government" means the Government of the State of Uttarakhand.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the same meaning assigned to them in the Act.

Source of Fund

3. The following shall be credited to the fund-

(A) Penalty recovered from the employer of Child and Adolescent Labourer under sub-section (1) of section 14B of the Act.

(B) The amount deposited by the State Government in the fund as per Sub section (2) of Section 14B of the Act.

(C) Under Sub section (1) of Section 14D of the Act, the amount of alleviation deposited by the employer/ parent/guardian charged by the District Magistrate.

(D) Funds received for the welfare of child/adolescent labourers in the form of grants or donations from NGOs or Voluntary Organizations or anybody.

(E) Amount of income earned from the fund in the financial year.

Purpose of the Fund

4. The objective of the fund is to provide financial assistance to the families of child and adolescent labourer for the eradication, rehabilitation and welfare of child and adolescent labour.

Investment of Fund

5. The fund shall be invested in a Nationalized Bank. The District Magistrate and the Assistant Labour Commissioner/Labour Enforcement Officer of the

concerned district shall be responsible for the investment of the fund.

Operation of Fund

6. The fund shall kept at the disposal of the District Magistrate.

Use of Fund

7. (A) The account of child/adolescent labourer shall be opened by the Labour Enforcement Officer of the district in any nationalized bank located in the district.

(B) Interest earned on the amount deposited in respect of the earmarked account of the child/adolescent labourer, shall be transferred from the fund every six months. This action shall be taken under the supervision of the Labour Enforcement Officer.

(C) On the completion of the age of eighteen years of the concerned child/ adolescent, within a maximum period of three months, the entire amount deposited in respect of the concerned child/adolescent along with the interest which is deposited in the fund under sub-section 1 and 2 of section 14B of the Act, shall be transferred to the account of the concerned child / adolescent under the supervision of the Assistant Labour Commissioner/Labour Enforcement Officer of the district.

(D) In relation to the amount transferred by the Assistant Labour Commissioner / Labour Enforcement Officer under rule 7 (B) and (C), the report with the prior details of the child/adolescent shall be sent to the Labour Commissioner and the State Government within a maximum of two weeks of the transfer of funds.

Certificate of Age

8. (1) Where an Inspector has an apprehension that any child/adolescent has been employed in any occupation or process or place in which he is prohibited to be carried on under Sections 3(1) and Sections 3A of the Act and where there is a dispute regarding the age of the concerned child/adolescent labourer, may direct the employer of such child/adolescent to produce a certificate of age from the appropriate

District Medical Authority.

(2) Under sub-section (1) the appropriate District Medical Authority at the time of examination of child / adolescent for issue of certificate of age:-

(i) Aadhar Card of the child/adolescent, and in the absence thereof;

(ii) Certificate of date of birth issued from the school or Matriculation or equivalent certificate issued by the concerned examination board of the adolescent, if available and in the absence thereof;

(iii) Shall consider the birth certificate of adolescent issued by the Corporation or Municipal Authority or Panchayat;

Provided that only in the absence of records specified in clause (i) to (iii) the age shall be determined by such medical Authority through bone development test or any other latest medical age determination test.

(3) The bone development test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the orders of the Labour Commissioner/Additional Labour Commissioner and Deputy Labour Commissioner or any other authority as may be specified by the State Government in this behalf and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.

(4) The age certificate referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form 'A'.

(5) The charges payable to the medical authority for issuance of age certificate shall be such as may be specified by the State Government for their medical Boards, as the case may be.

(6) The charges payable to the Medical Authority shall be borne by the employer of the child adolescent

whose age is to be determined under this rule.

Explanation:- For the purpose of this rule-

(i) "Medical Authority" means a Government doctor not below the rank of a Assistant Surgeon of a district or a regular doctor of equivalent rank employed in Employee's State Insurance Dispensaries or Hospitals;

(ii) "Adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act.

(iii) "Child" means a child as define in clause (ii) of section 2 of the act.

Manner of compounding of offenses

9. **(1)** Any accused person-

(a) who for the first time commits an offense under sub-section (3) of section 14; or

(b) Whoever, being a parent or guardian, commits an offense under the said section, may file an application under sub-section (1) of section 14D with the District Magistrate having jurisdiction to compound the offense.

(2) The District Magistrate shall, after hearing the accused person and the Inspector concerned, on the application filed under sub-rule (1), dispose of the application and, if the application is allowed, issue a compounding certificate subject to the following:

(i) Payment of an amount of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence, within the time specified in such certificate;

(ii) The compounding amount specified under clause (i) plus the payment of an additional amount of twenty-five per cent of the maximum fine provided for such offence, if the accused fails to pay the compounding amount within the time specified under the said clause and such belated payment shall be made within such further period as may be

specified by the District Magistrate, which shall not exceed the period specified in that clause.

(iii) The compounding amount shall be paid by the accused to the State Government.

(iv) If the compounding amount is not paid by the accused on the specified time and under sub-rule (2), then the proceeding under sub-section (2) of section 14D shall continue against the concerned.

Duties and Powers of District Magistrate

10. (1) The District Magistrate, under Section 17A of the Act, shall be able to get the sites/establishments inspected, employing child/adolescent labour through the District Task Force (DTF) or other authorized inspection team mentioned in the guidelines issued under the National Child Labour Project from time to time, or on receipt of complaints, for the eradication of child/adolescent labour in the district.

(2) A Nodal officer shall be nominated by the District Magistrate for monitoring the cases of child/ adolescent labour in the district.

(3) The District Magistrate shall assign to the Nodal Officer such powers to be exercised and duties to be performed by him as a subordinate officer within the local limits of his jurisdiction, as he may deem appropriate.

(4) In addition to the duties specified in sub-section (1),(2) and (3) the District Magistrate shall, through the Nodal Officers and the District Task Force, ensure that children and adolescents, who are employed in contravention of the provisions of the Act, are excluded from such employment and they shall be rehabilitated as per the following provisions:-

(i) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and the rules made there under;

(ii) The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976)

(iii) Central Bonded Labour Rehabilitation Sector Scheme, 2016;

(iv) Any National Child Labour Project;

(v) Any other law scheme for the time being in force under which such child or adolescents may be rehabilitated, and subject to-

(a) Directions, if any, of the Court of Competent Jurisdiction.

(b) Guidelines for rescue and enforcement issued by the State Government from time to time in this regard.

Duties of Inspectors **11.** An Inspector appointed by the State Government under section 17 of the act, for the purposes of ensuring compliance with the provisions of the Act, shall-

(i) comply with the rules issued by the State Government from time to time,

(ii) comply with the instructions issued by the State Government from time to time and inspect the cases of child/adolescent labour.

(iii) The Deputy Labour Commissioner of the area shall send the report every month to the Labour Commissioner and the State Government regarding the observations made in respect of the eradication of child/ adolescent labour.

Inspection and Monitoring System **12.** An inspection process shall be made by the Labour Commissioner for inspection and monitoring in cases related to child/adolescent labour, which shall be implemented after the approval of the State Government. For this:-

(A) The Assistant Labour Commissioner /Labour Enforcement Officers posted in the district

and such other officers, as they deem fit, shall be targeted every month for inspection of potential sites employing child/adolescent labour.

(B) In relation to the inspections carried out, the maintenance of records related to further legal proceedings shall be determined in relation to digital or other medium. In the above records, details related to identification proceedings, rehabilitation details of child/adolescent labourers, details of post-action, FIR filed against employers, and suit related details shall be mentioned along with other relevant details.

By Order

(Chandresh Kumar)
Secretary

Form A
CERTIFICATE OF AGE

See rule 8(1 and (4)

Certificate no…………………..

I hereby certify that I have personally examined (name) ………………son/ daughter of…………residing at…………………….......and that he/she has completed his/her fourteen year and his/her age,as nearly as can be ascertained from my examination, is………………………..years (completed). His/her descriptive marks are……………………………………………………Thumb-impression/signature of child………………………

……………………

Medical Authority

Place…………….

Date……………..

Designation……..........